कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/63/2022
डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, मं0 नं0 38, 39 बैक ऑफ बडौदा के समाने कायड रोड घूघरा जिला अजमेर।

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 17.8.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, मं0 नं0 38, 39 बैक ऑफ बडौदा के समाने कायड रोड घूघरा जिला अजमेर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 06.06.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/583 दिनांक 4.8.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक/सतर्कता/2022/2818 दिनांक 05.8.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी ने चाही गई सूचना उसे उपलबध नहीं कराई गई है, सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक/सतर्कता/2022/2818 दिनांक 05.8.2022 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2022 पर गौर किया गया। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक/सतर्कता/आरटीआई/2022/2584 दिनांक 11.07.2022 से सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) भिजवायें। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर